जनपद बिजनौर

प्रेस नोट - थाना किरतपुर **दिनांक 14.01.2025**

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125/127/281/287/288/355 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि कतिपय सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर थाना किरतपुर क्षेत्रान्तर्गत भनेडा टोल प्लाजा के पास गाडियो से स्टंट, आतिशबाजी करते हुये बर्थडे सेलिब्रेशन की वीडियो वायरल हुई थी ।

पुलिस अधीक्षक बिजनौर द्वारा उक्त वीडियो का संज्ञान लेकर क्षेत्राधिकारी नजीबाबाद को वायरल वीडियो की जांच कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था । जांच के क्रम में यह तथ्य प्रकाश में आये कि उक्त वीडियो दिनांक 05-01-2025 को समय करीब 21.00 बजे टोल प्लाजा भनेडा के पास की है । उक्त घटना के संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 06/2025 धारा 125/127/281/287/288/355 बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही –

थाना किरतपुर पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 06/25 धारा 125/127/281/287/288/355 बीएनएस में वांछित अभियुक्त दिलशाद पुत्र महताब निवासी मौ0 रम्मपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है तथा गाडी XUV700 नम्बर UK07FM-7860 तथा BMW-X1 नम्बर UK07BW-9789 को सीज किया गया तथा अन्य के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

दिलशाद पुत्र महताब निवासी मौ0 रम्मपुरा थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर ।

सीज वाहन का विवरण -

गाडी XUV700 नम्बर UK07FM-7860

BMW-X1 नम्बर UK07BW-9789

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- व0उ0नि0 योगेन्द्र शर्मा थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

2- आरक्षी नीरज कुमार थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

3- आरक्षी राहुल सैनी थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट– थाना हल्दौर   दिनॉक 14.01.2025

थाना हल्दौर व कोतवाली शहर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा थाना हल्दौर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 11/25 धारा 331/305ए/324(4) बीएनएस से संबंधित अभियुक्ता को चोरी की गयी ज्वैलरी व नगदी सहित किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 08.01.2025 को वादी मौ0 आरिफ पुत्र मौ0 इरशाद निवासी मौ0 हरिनगर कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना हल्दौर पर तहरीर दी कि अज्ञात चोरों द्वारा वादी के मकान का ताला तोडकर सोने व चांदी के ज्वैलरी व 25,000 रूपये नगदी चारी कर ली गयी तथा मकान में लगे एल0ई0डी0 व डीवीआर तोड दिये। इस संबंध में थाना हल्दौर पर मु0अ0सं0 11/25 धारा 331/305ए/324(4)/317(2) बीएनएस पंजीकृत किया गया। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान अभियोग में अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी स्व0 रोहताश निवासी मौ0 भरत बिहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर 2.मलखान पुत्र गम्भीर निवासी ग्राम चांदा नगली मोहनपुर थाना हल्दौर जनपद बिजनौर 3.सरफराज उर्फ कल्लू पुत्र मुन्नु निवासी ग्राम फरीदपुर काजी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर के नाम प्रकाश में आया।

कार्यवाही–

आज दिनांक 14.01.2025 को थाना हल्दौर व कोतवाली शहर पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्ता लक्ष्मी पत्नी स्व0 रोहताश निवासी मौ0 भरत बिहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्ता की निशादेही पर चोरी किये गये ज्वैलरी व कुल 666 रूपये बरामद किये गये। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

नोट– दिनांक 08/09.01.2025 को उपरोक्त अभियोग से संबंधित अभियुक्तगण मलखान व सरफराज को थाना मीरापुर, जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड में गिरफ्तार किया गया था।

पूछताछ का विवरण– अभियुक्ता ने पूछताछ पर बताया कि मलखान पुत्र गम्भीर (अभियुक्ता का दूसरा पति) व उसके दोस्त सरफराज उर्फ कल्लू ने कस्बा हल्दौर के एक मकान से चोरी करके सामान व रूपये अभियुक्ता के पास रख दिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता–

1. लक्ष्मी पत्नी स्व0 रोहताश निवासी मौ0 भरत बिहार कॉलोनी थाना कोतवाली शहर बिजनौर

बरामदगी का विवरण–

1. दो जोडी पायल सफेद धातु
2. चार छल्ले सफेद धातु
3. दो लेडीज अंगूठी पीली धातु
4. एक मंगलसूत्र पीली धातु
5. एक सफेद धातु की ईंट
6. एक जोडी पायल सफेद धातु
7. दो जोडी बिछुए सफेद धातु
8. एक लोगं पीली धातु
9. एक बाली पीली धातु की
10. दो जोडी पायल सफेद धातु
11. कुल 666/– रुपये

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1–उ0नि0 संजीव कुमार थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
2–उ0नि0 श्रीपाल यादव थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
3–आरक्षी 1850 संदीप सांगवान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।
4–आरक्षी 2605 निर्मल थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।
5–महिला आरक्षी 516 कंचन थाना कोतवाली शहर जनपद बिजनौर।